कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन)

168

क्रमांक:भू॰अ॰/नवि/91/ दिनांक: 7-6-91

विषय:जयपुर शहर के योजना बद्ध विकास के लिए ग्राम पाच्यावाला में भूमि अवाप्ति बाबत । (पृथ्वी राज नगर)

मुकदमा नम्बर :-

1. 40/88,41/88
2. 42/88
3. 43/88
4. 44/88
5. 45/88
6. 46/88
7. 47/88
8. 48/88
9. 49/88,58/88
10. 50/88, 57/88
11. 51/88
12. 52/88
13. 53/88
14. 54/88
15. 55/88
16. 56/88
17. 59/88
18. 60/88
19. 61/88
20. 62/88
21. 63/88
22. 64/88
23. 64 र /88
24. 65/88
25. 66/88
26. 67/88

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक : प-6 (15)/ नविआ/11/87 दिनांक 6-1-1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई 1988 को करवाया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 र की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

282

समभाग हि॰ 1/3 भोहरा, नाथ्या, नारायण, लाला, सोन्या पिता काना समभाग हि1/3 कौम जाट सा॰देह कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

18॰ मुकदमा संख्या 62/88, ख॰नं॰ 123,130 से 138, 140,163,164, के अवार्ड में पृष्ठ संख्या 13"सी" में सूरज मल पुत्र भंवरिया, नारायण पुत्र काना नाथू पुत्र काना , जगदीश पुत्र काना, सोहन , मंगल हनुमान, जगदीश पित ा चोथ्या जाट के स्थान पर ख॰नं॰ 123 में सूरज मल पुत्र भैवरिया हि1/5, नारायण पुत्र काना 1/5 नाथू पुत्र क ाना 1/5 जगदीश पुत्र काना 1/5 दर हि॰ 1/2 व मंगल ,हनुमान, जगदीश पिता चोथ्या 1/2 जाति जाट सा॰देह एंव ख॰नं॰ 130 से 138,140,163, 164 में सूरज मल पुत्र भैवरिया हि॰ 1/5 नाथू पुत्र काना हि॰ 1/5 नारायण पुत्र काना हि॰ 1/5 जगदीश पुत्र लाला पोता काना हो॰ 1/5 सोहन पुत्र हि॰ 1/5 दर हि॰ 1/2 व मंगल, हनुमान,जगदीश पित ा चोथ्या हि॰ 1/2 कौम जाट सा॰देह पढ़ा जावें ।

19॰ मुकदमा 63/88 ख॰नं॰ 158 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 5"सी", 13"सी" एंव अ वार्ड के परिशिष्ठ "ए" के पृष्ठ संख्या 9"सी" में नारायण पुत्र झूथा गोपी पुत्र हरला जाट के स्थान पर नारायण पुत्र झूथा , गोपी पुत्र हरला जाति जाट सा॰देह हि॰ बराबर पढ़ा ज ावें ।

20॰ मुकदमा संख्या 64ए/88 ख॰नं॰ 167 के अवार्ड में पृष्ठ संख्या 5"सी",9"सी" में भैवरिया ,कल्याण,रामनारायण पुत्रान बोदया हि1/2 चौथू पुत्र भोमा 1/2 एंव अवार्ड के पृष्ठ संख्या 14"सी" में भंवरीया, कल्याण, राम नारायण पिता बोदया चौथू पुत्र भोमा जाट के स्थान पर भवरिया ,कल्याण,राम नारायण पिता बोदया हि॰ 1/2 चौथू पुत्र भोमा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा॰देह पढ़ा जावें ।

21॰ मुकदमा संख्या 65/88, ख॰नं॰ 124,129 के अवार्ड में पृष्ठ संख्या 5"सी" व अवार्ड के परिशिष्ठ "ए" के पृष्ठ संख्या 9"सी" में कजोड़, राम नाथ,लक्ष्मीनारायण पुत्रान भैवरिया 1/4 प्रभू पुत्र मोहनिया 1/4 सुख राम, सूजा राम, नान्छीलाल पुत्र हरला जाट 1/2 एंव अवार्ड के पृष्ठ संख्या 14"सी" में कजोड़ , रामनाथ, लक्ष्मीनारायण पिता भवरिया, प्रभू पुत्र मोहनिया, सुख राम,सूजा राम,नान्छीलाल पिता हरनाथ जाट के स्थान पर कजोड़, रामनाथ,ल क्ष्मीनारायण पिता भैवरिया हि 1/4 प्रभू पुत्र मोहनिया 1/4 सुख राम, सूजा राम नानची लाल पिता हरनाथ हि॰ ब॰ 1/2 अ॰ जाट सा॰देह पढ़ा जावें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।

प्रतिलिपि:-
1॰ उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
2॰ सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर

10. मुकदमा संख्या 52/88 के ख.नं. 50,51,50/192 में अवार्ड के पृष्ठ संख्या 3|सी" 9|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ ए-के पृष्ठ संख्या 5|सी" में श्री काना पुत्र श्योबक्श जाट के स्थान पर श्री काना पुत्र श्योबक्श जाट सा० विश्नावाला पढ़ा जावें ।

11. मुकदमा सं. 53/88 के ख.नं. 70 से 74, 91,92, व 96 से 104, 111 के अवार्ड के पृष्ठ सं. 4|सी", 10|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ-ए- के पृष्ठ संख्या 6|"सी" में पारा,देवा, श्योला, मोती लाल,हरबक्श, लक्ष्मीनारायण पुत्रान श्योला हिस्सा बराबर भंवर लाल,बाबू लाल पुत्रान चोथमल कुम्हार के स्थान पर मु० पारा देवा श्योला, मोती लाल हरबक्श, लक्ष्मीनारायण पिता श्योला हिस्सा बराबर, भंवर लाल,बाबूलाल पिता चोथ मल जाति कुम्हार सा.देह पढ़ा जावें ।

12. मुकदमा संख्या 54/88 खसरा नं. 75,81,82 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 4|सी" 10|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ -ए- के पृष्ठ संख्या 6|सी" में चन्दा पुत्र परसा बलाई के स्थान पर चन्दा पुत्र परसा जाति बलाई सा.देह कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

13. मुकदमा संख्या 55/88 ख.नं. 76 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 10|"सी" में लच्छू, गणेश पि० दूला, चन्दा पु० परसा के स्थान पर लच्छू, गणेश पि० दूला हि. 1/2, चन्दा पु० परसा हि. 1/2 जाति बलाई सा.देह पढ़ा जावें ।

14. मुकदमा संख्या 58/88 ख.नं. 110,171 से 175, 178,178/190 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 4|सी", 11|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ-ए- के पृष्ठ संख्या 9|सी" में ज्वाला पि० मेहता मीणा के स्थान पर ज्वाला पुत्र मेहता जाति मीणा सा.देह कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

15. मुकदमा संख्या 59/88, ख.नं. 112,113,114,117,119,121, के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 4|"सी", 11|"सी" एंव परिशिष्ठ "ए" के पृष्ठ संख्या 7|सी" में सूरज मल पुत्र भोरा जाट के स्थान पर सूरज मल पुत्र भोरा कोम जाट सा.देह पढ़ा जावें ।

16. मुकदमा संख्या 60/88, ख.नं. 122 के अवार्ड के 4|सी" व अवार्ड के परिशिष्ठ "ए" के पृष्ठ सं० 7|"सी" में भंवरिया, कल्याण, रामनारायण पुत्रान बोदया, चौथू दत्तक गणेश के स्थान पर भंवरिया, कल्याण, राम नारायण पिता बोदया हि. 1/2 चौथू दत्तक गणेश हि. 1/2 कोम जाट सा.देह खातेदार पढ़ा जावें ।

17. मुकदमा संख्या 61/88, ख.नं. 115 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 4|सी" व अवार्ड के परिशिष्ठ"ए" के पृष्ठ 8|सी" में नारायण, बुध्दा पुत्र झूथा 1/3 गोपी भूरा पु० हरला 1/3, भोहरा, नाथ्या, नारायण, लाला, सोन्या पु० काना जाट हि1/3 एंव अवार्ड के पृष्ठ संख्या 12|सी" में नारायण, बुध्दा पि० झूथा, गोपी भूरा पि० हरला, भोरा, नाथ्या, नारायण,लाला, सोन्या पि० काना जाट के स्थान पर नारायण,बुध्दा पिता झूथा संभाग हि. 1/3 गोपी भूरा पि०हरला

भूमि प्रबंधित अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

3. मुकदमा संख्या 45/88 के ख.नं. 36,141,147,151 से 153 के अवार्ड में पृष्ठ 3|सी" पर नारायण ,बुध्दा पिता डूथा 1/2, गोपी,भूरा पिता हरला 1/2 7|सी" पर श्री नारायण, बुध्दा पिता डूथा, गोपी,भूरा पिता हरला एंव अवार्ड के परिशिष्ठ -ए के पृष्ठ संख्या 4|सी" पर नारायण, बुध्दा, डूथा 1/2 गोपी,भूरा पिता हरला 1/2 के स्थान पर नारायण, बुध्दा पिता डूथा हिस्सा बराबर 1/2 गोपी ,भूरा पिता हरला हि. बराबर 1/2 सा.देह कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

4. मुकदमा संख्या 46/88 , के ख.नं. 37,38, 139,150,159,120,170 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 3|सी", 7|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ पृष्ठ संख्या 4|सी" में नारायण, बुध्दा पिता डूथा के स्थान पर नारायण, बुध्दा पिता डूथा जाट सा देह हि. बराबर कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

5. मुकदमा संख्या 47/88 के ख.नं. 39 के अवार्ड के पृष्ठ संख्या 3|सी", 8|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ ए के पृष्ठ संख्या 4|सी में नारायण पुत्र डूथा, गोपी पुत्र हरला सूरज मल पुत्र मोहन जाट के स्थान पर नारायण पुत्र डूथा, गोपी पुत्र हरला, सूरज मल पुत्र मोहन जाति जाट हि. बराबर पढ़ा जावें ।

6. मुकदमा संख्या 48/88 के ख.नं. 44 में अवार्ड के पृष्ठ संख्या 3|सी" पर सुखा कल्याण पि0हरनन्दा 2/3 , जगदीश,काना राम चन्द्र हनुमान मीपा 1/2 पृष्ठ सं. 8|सी" पर सुखा,कल्याण पि0 हरनन्दा ,जगदीश, काना, राम चन्द्र पुत्रान हनुमान मीपा एंव अवार्ड के परिशिष्ठ के पृष्ठ 4|सी" पर सुखा,कल्याण पुत्र हरनन्दा 2/3 जगदीश,काना, राम चन्द्र, हनुमान 1/2, के स्थान पर सुखा, कल्याण पि0हरनन्दा 2/3 जगदीश, काना, राम चन्द पुत्रान हनुमान 1/2 कोम मीपा सा. देह पढ़ा जावें ।

7. मुकदमा सं. 49/88, 56/88 में ख.नं. 45,47,84,85,86,88,89,90,93,95 के अवार्ड में पृष्ठ संख्या 3|सी", 8|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ ए-के पृष्ठ संख्या 5|सी" में माग्या पु0 परसा बलाई के स्थान पर माग्या पुत्र परसा जाति बलाई मु0 कदीम खातेदार पढ़ा जावें ।

8. मुकदमा सं. 50/88,57/88 के ख.नं. 46, 94 में अवार्ड के पृष्ठ सं. "3|सी" व 9|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ ए के पृष्ठ संख्या 5|सी" में उद्दा पुत्र चन्दा बलाई के स्थान पर उद्दा पुत्र चन्दा जाति बलाई सा.देह पढ़ा जावें ।

9. मुकदमा संख्या 51/88 के ख.नं. 48,49,78,79,49/191 में अवार्ड के पृष्ठ संख्या 3|सी", 9|सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ ए-के पृष्ठ संख्या 5|सी" में लच्छू, गपेश पुत्र दुला बलाई के स्थान पर लच्छू व गपेश पिता दुला जाति बलाई सा.देह हि. बराबर पढ़ा जावें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

2791

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन)

क्र मांक भू०अ/नवि/91/ (17—)18 दिनांक 9/1/92

कार्यालय आदेश

शुद्धि -पत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित "पृथ्वी राज नगर" योजना में मुकदमात ग्राम पाँच्यावाला के अवार्ड दिनांक 17-7-91 को घोषित किये जाकर फाईल किये गये थे । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एंव अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिये त्रुटिया ज्ञात हुई है जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की अशुद्धियां केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है। अत; केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894 1984 का अधिनियम संख्या 1 की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकिये सम्बन्धित त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है यह संशोधन मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

1. मुकदमा नं. 43/88 के ख.नं. 22 से 34 में अवार्ड के पृष्ठ संख्या 2\सी पर भोरा , राम देव, महादेव, राम सहाय पि0 भेरू 1/4 काना पु0 भीमा 1/4 , श्योनाथ पुत्र सालगा 1/4 नानग राम, मिश्री लाल पि0 डालू, फूल चन्द , मोहन लाल पि0 राम चन्द्र पौत्र डालू मीणा एंव पृष्ठ संख्या -6\सी" में श्री भोरा , राम देव, महादेव, राम सहाय पिता भेरू , काना राम पु0 भीमा श्योनाथ पुत्र सालगा, नानग राम, मिश्रीलाल पिता डालू, फूल चन्द मोहन लाल पिता राम चन्द्र पौत्र डालू मीणा एव अवार्ड के परिशिष्ठ ए-के पृष्ठ संख्या 2-\"सी" एंव 3-\"सी" पर भोरा , राम देव , महादेव , राम सहाय पुत्र भेरू 1/4 काना पुत्र भीमा 1/4 श्योनाथ पु0 सालगा 1/4 नानग राम मिश्रीलाल पुत्र डालू , फूलचन्द , मोहन लाल पुत्र राम चन्द्र पौत्र डालू मीणा हि0 बराबर के स्थान पर भोरा , राम देव, महादेव, राम सहाय पिता भेरू संभाग हि0 1/4 व काना पुत्र भीमा हि0 1/4 व श्योनाथ पुत्र सालगा हि. 1/4 नन्गा राम मिश्री लाल पिता डालू फूल चन्द मोहन लाल पि0 राम चन्द्र पुत्र डालू हि. 1/4 व 0 हि. बराबर जाति मीणा सा.देह पढ़ा जावें।

2. मुकदमा नम्बर 44/88 के ख.नं. 35, 118 , 142 से 146 , 154 से 157 , 160, 161, 146/193 के अवार्ड में पृष्ठ संख्या 3\"सी", 7\"सी" एंव अवार्ड के परिशिष्ठ -ए"के पृष्ठ संख्या 3\"सी" में गोपी, भूरा पिता हरला जाट के स्थान पर गोपी , भूरा पिता हरला जाति जाट सा. देह कदीम खातेदार हिस्सा बराबर पढ़ा जावें ।

-------- 2

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाऐं
जयपुर

1·	2·	3·	4·	5·	6·	7·	8·	9·	10·	11
21·	नारायण पु· झूथा गोपी पु· हरला जाट	63	158	0-03	"	3,600/-	1,080/-	1,261/-	5,941/-	
22·	झाबूंराम पु· पूराराम जाट सा.देह	64	168	3-15	"	90,000/-	27,000/-	31,527/-	1,48,527/-	
23·	भंवरिया, कल्याण, रामनारायण, पुत्रान बोदया, 1/2, चौथू पुत्र भोमा 1/2	64ए	167	0-03	"	3,600/-	1,080/-	1,261/-	5,941/-	
24·	कजोड़, रामनाथ, लक्ष्मीनारायण पुत्रान भँवरिया 1/4, प्रभु पुत्र मोहनिया 1/4, सुखराम, सुजाराम, नान्छीलाल पुत्र हरनाथ जाट 1/2·	65	124 129	9-10 1-00 10-10	"	2,52,000/-	75,600/-	88,276/-	4,15,876/-	
25·	रूग्गा पुत्र झूथा जाट	66	148 149	3-11 0-14 4-05	"	1,02,000/-	30,600/-	35,731/-	1,68,331/-	
	देना बैंक, जयपुर एम·आई·रोड़ शाखा			-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	—	—	—	—	1,518/-
	(नोट: बैंक को दी जाने वाली रकम 1,518/-रूपये रूग्गा पु·झूथा जाट को दी जाने वाली अवार्ड की राशि में से काटकर देय होगी बाकी राशि श्री रूग्गा पुत्र झूथा जाट को देय होगी)					1,68,58,800/-	49,37,040/-	57,64,818/-	2,71,58,658/-	

नोट:- 1·सोलिशियम राशि 30% कॉलम नं0 7 पर (मुआवजा राशि पर) दी गई है ।
2·अतिरिक्त राशि 12% की गणना धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7-7-88 से 7-6-91 तक दी गई है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11
19.	नारायण,बुधा पुत्रद्वया 1/3 गोपी,भूरा, पु. हरला 1/3, भोहरा,नाथ्या, नारायण,लाला,सोन्या,पुत्र कानाजाट हि. 1/3.	61	115	0-02	""	2,400/-	720/-	841/-	3,961/-	
20.	सूरजमल,पु.भंवरिया 1/5,नारायण पु. काना 1/5, नाथू पु. काना 1/5, जगदीश पु. काना 1/5,दर हिस्सा 1/2 मंगला,हनुमान,जगदीश,पु.चौथ्या जाट हि. 1/2.	62	123	28-19	""	6,94,800/-	2,08,440/-	2,43,388/-	11,46,628/-	
	सूरजमल पु. भंवरिया 1/5,नाथू पु.काना 1/5, नारायण पु.काना 1/5, जगदीश पु. लाला पोता काना 1/5, सोहन 1/5 दर हिस्सा 1/2, मंगला,हनुमान,जगदीश, पिता चौथ्या जाट 1/2	62	130	5-17						
			131	0-03						
			132	1-06						
			133	3-17						
			134	2-15						
			135	2-05						
			136	3-06						
			137	6-09						
			138	7-01						
			140	6-18						
			163	7-13						
			164	0-07						
				47-17	""	11,48,400/-	3,44,520/-	4,02,285/-	18,95,205/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

....9..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	ज्वाला पु. मेहता मीणा	58	110	11-13						
			171	0-05						
			172	0-04						
			173	1-11						
			174	0-04						
			175	6-14						
			178	54-05						
			178/190	0-01						
				74- 17	""	17,96,400/-	5,38,920/-	6,29,279/-	29,64,599/-	
17.	सुरज्मल पु. भोहरा जाट	59	112	1-13						
			113	11-12						
			114	0-13						
			117	0-05						
			119	8-15						
			121	13-12						
				36-10	""	8,76,000/-	2,62,800/-	3,06,863/-	14,45,663/-	
	देना बैंक, जयपुर एम.आई.रोड़ शाखा.		-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	—	—	—	—	9,735/-	

नोट:- बैंक को दी जाने वाली रकम 9,735/-रुपये सुरज्मल पु.भोहरा जाट को दी जाने वाली अवार्ड की राशि में से काट कर बैंक को देय होगी बाकी राशि श्री सुरज्मल पुत्र भोहरा जाट को देय होगी ।

18.	भंवरिया, कल्याण, रामनारायण पुत्रान बोदया 1/2 चौथू दत्तक गणेश 1/2	60	122	41-10	""	9,96,000/-	2,98,800/-	3,48,899/-	16,43,699/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	पारा बेवा शोला, मोती लाल, हरबक्स	53	70	2-15						
	लक्ष्मीनारायण पुत्रान शोला मेवर लाल,		72	0-04						
	बाबूलाल पुत्रान चौथमल कुम्हार	53	73	3-14						
			74	2-05						
			91	0-05						
			92	5-14						
			96	3-08						
			97	6-17						
			98	6-07						
			99	2-00						
			100	0-05						
			101	0-04						
			102	0-03						
			103	0-03						
			104	3-07						
			111	2-15						
				40-06	24000/-	9,67,200/-	2,90,160/-	3,38,810/-	15,96,170/-	
14.	चंदा पु. परसा बलाई	54	75	5-00						
			81	2-10						
			82	2-16						
				10-06	"	2,47,200/-	74,160/-	86,594/-	4,07,954/-	
	पु. दुला 1/2 चंदा पु. परसा 1/2	55	76	0-03	"	3600/-	1,080/-	1,261/-	5,941/-	

भूमि प्रवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

....9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	मांग्या पु. परसा बलाई	49	45	3-11	24,000/-					
		56	47	13-07						
			84	0-10						
			85	1-06						
			86	0-13						
			88	0-03						
			89	1-03						
			90	3-12						
			93	5-10						
			95	1-14	"	7,54,800/-	2,26,440/-	2,64,406/-	12,45,646/-	
10.	उदा पुत्र सदा बलाई	50	46	9-18						
		57	94	3-03						
				13-01	"	3,13,200/-	93,960/-	1,09,714/-	5,16,874/-	
11.	लच्छू, गणेश पु. दुला बलाई.	51	48	9-10						
			49	9-05						
			78	4-10						
			79	4-11						
			49/191	0-11						
				28-07	"	6,80,400/-	2,04,120/-	2,38,344/-	11,22,864/-	
12.	काना पु. प्रयोबक्स जाट	52	50	0-18						
			51	0-06						
			50/192	0-03						
				1-07	"	32,400/-	9,720/-	11,350/-	53,470/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

....6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	नारायण,बुद्धा/बुधा 1/2,गोपी भुरा पि॰हरला 1/2	45	36	0-03	24000/-	,				
			141	24-09						
			147	9-17						
			151	0-10						
			152	0-02						
			153	0-05						
				35-06	"	8,47,200/-	2,54,160/-	2,96,774/-	13,98,134/-	
6.	नारायण,बुद्धा पि॰बुधा	46	37	11-11						
			38	0-09						
			139	0-04						
			150	5-10						
			159	4-00						
			120	12-06						
			170	2-00						
				33-00	"	7,92,000/-	2,37,600/-	2,77,438/-	13,07,038/-	
7.	नारायण,पु॰बुधा,गोपी पुत्र हरला,सुरजमल,मोहरू जाट	47	39	10-11	"	2,53,200/-	75,960/-	88,696/-	4,17,856/-	
8.	सुक्खा,कल्याण पु॰हरनन्दा 2/3 जगदीश,काना,रामचन्द्र,हनुमान 1/2	48	44	18-08	"	4,41,600/-	1,32,480/-	1,54,692/-	7,28,772/-	

.....5

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			34	29-08 98-14	24000/-	23,68,800/-	7,10,640/-	8,29,791/-	39,09,231/-	
	देना बैंक, जयपुर एम.आई. रोड़ शाखा	43	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	--	---	----	----	12,458/-	

नोट:- बैंक को दी जाने वाली रकम 12,458 /=रूपये में से 5500/-रू0 श्री भोहरापुत्र भैरू मीणा एवं 6958/-रूपये श्री नानगराम मीणा पुत्र हाडू के हिस्से में से काट कर देना बैंक को देय होगी बाकी हिस्से की राशि श्री भोहरा पुत्र भैरू मीणा एवं श्री नानगराम मीणा को देय होगी। (भोहरा पुत्र भैरू मीणा का हिस्सा 2,54,326 रु. 93 पैसे है एवं श्री नानगराम मीणा का हिस्सा 2,54,326 रु. 93 पैसे है)

4.	गोपी, भूरा पुत्र हरलाजाट	44	35	12-05						
			118	12-17						
			142	0-04						
			143	1-13						
			144	0-03						
			145	0-09						
			146	1-06						
			154	2-09						
			155	1-02						
			156	1-05						
			157	2-01						
			160	0-11						
			161	0-16						
			146/193	1-03						
				38-04	--	9,16,800/-	2,75,040/-	3,21,155/-	15,12,995/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
	भवीरया, चौथिया	42	11	3-19	24000/-				
	पुत्रान चंदा		12	1-01					
			13	0-03					
			14	0-04					
			15	10-18					
			16	0-03					
			17	0-06					
			18	0-08					
			19	4-13					
			20	9-15					
				31-10	"	7,56,000/-	2,26,800/-	2,64,827/-	12,47,627/-
	मोहरा, राजदेव,	43	22	27-03					
	महादेव, रामसहाय		23	12-09					
	पु॰भैरू 1/4, काना पुत्र		24	4-12					
	भीमा 1/4, ज्योनाथ पु॰		25	3-08					
	तालगा 1/4नानगराम		26	5-12					
	मिश्रीलाल पु॰ डालू, फूलचंद		27	0-04					
	मोहनलाल पु॰रामचन्द्र पौत्र		28	0-01					
	डालू मीणा 1/4हि॰बराबर		29	0-06					
			30	1-01					
			31	1-05					
			32	0-04					
			33	13-01					

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

187

परिशिष्ट "ए" गणना तालिका ग्राम पांच्यावाला

क्र.सं.	नाम खातेदार/हितदार	मुकदमा नं.	खसरा नं.	रकबा बी-बि	भूमि के मुआवजे की दर	भूमि के मुआवजे की राशि	सोलेशियम राशि30%	अति. राशि 12%प्र.वर्ष	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1.	जयनारायण पु. गणेश मीणा	40	1	5-08	24000/-				
			6	3-06					
			7	1-09					
			8	0-04					
			9	0-02					
			10	0-01					
			43	8-18					
				19-08	"	4,65,600/-	1,39,680/-	163100/-	7,68,380/-
	जगदीश पु. जयनारायण		2	2-15					
	दत्तक पिता, श्रीनारायण		3	5-13					
	पु. जयनारायण, रतनलाल		4	1-05					
	बद्रीनारायण पु. जय नारायण मीणा		5	1-03					
				10-16	"	2,59,200/-	77,760/-	90,798/-	4,27,758/-
	सुखा पु. हरनन्दा मीणा हि. 1/2, भैरू, जयनारायण पुत्रान गणेश मीणा 1/2		42	8-16	"	2,11,200/-	63,360/-	73,983/-	3,48,543/-
2.	मोहरा पु. चंदा 1/2, कल्याण पु. हरनन्दा मीणा 1/2	42	41	7-11	"	1,81,200/-	54,360/-	63,474/-	2,99,034/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर....2

186

22.5.96 20 सरा नोटिस 1 लगायत 20, 41, 42, 43, 70, 73, 74, 91, 92, 96, 97 एवं 98 पर ग्राम पंचायत तहसील जयपुर का अर्वाई भूमि के अन्य हकदारों नरवान के साथ दिनांक 7/6/91 को जारी किये गये एक सिर्फ अंतरिम अनुमोदन राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F 6 (15) नविश/87 पार्ट दिनांक 16.7.91 के द्वारा प्राप्त होने पर अन्य 20.5.96 तक अर्वाई भूमि के आवंटित कर दिया गया किन्तु अब हकदारों नरवान हेतु गांव कुटचब्यावरा का रजगान आवेदन होने के कारण अर्वाई आवंटित नहीं किया जा सकता। अब चूंकि दिनांक 22.4.96 के माननीय उच्च न्यायालय जी.बी. द्वारा अपीलों का निर्णय राज्य सरकार/नविश. के पक्ष में हो गया है तथा निर्णय की प्रति उच्च न्यायालय के दिनांक 18.5.96 को प्राप्त हुई है इसी दशा में उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अन्य उपरोक्त 20 हकदारों नरवान हेतु अर्वाई क्षेत्र अनुमानतः आवंटित किया जाना है। काश्तकार खातेदार के अधिकारों की तौर से कोई भी उपेक्षा नहीं हो। काश्तकार खातेदारों को 12(2) भू.अ.भू. अधिनियम के तहत नोटिस जारी हो तथा सम्बन्धित नविश. को अर्वाई की राशि हेतु लिखा जावे।

22.5.96

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

 185

प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण। संलग्न परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 7-6-1991 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर

संलग्न : परिशिष्ट "ए" गणना तालिका.

यह अवार्ड आज दि. 17/7/91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F-6(15) भूअप्रा/87 पार्ट दि. 16/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड में ख. न. 1 से 20 एवं 70, 73, 74, 91, 92, 96 से 98 एवं 41 से 43 पर माननीय उच्च न्यायालय में अवार्ड घोषित करने पर स्थगन आदेश दे रखा है। अतः ख. न. 1 से 20 एवं 70, 73, 74, 91, 92, 96 से 98 एवं 41 से 43 का अवार्ड घोषित नहीं किया जा सकता है। बाकी ख. न. पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अतः बाकी ख. न. का अवार्ड आज दि. 17/7/91 को सरे इजलास घोषित कर फाइल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

1. 16/11/93 ~~अवार्ड~~

P.T.O.

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रू0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए है जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जविप्रा के अभिभाषक श्री के0पी0 मिश्रा ने कोई लिखित उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/-रू0 प्रति बीघा की दर से दी जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/-रू0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए है ।

अत: इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24000/-रू0 प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यहीं थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा तामील कराये जाने पर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद भी खातेदारान/हितदारान का उपस्थित नहीं होना एवं क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते इसलिए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

जहां तक पेड़, पौधे, सड़के, कुएं एवं भूमि पर बने स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जविप्रा द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीना पेश किया गया है ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर अगर कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जविप्रा से तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीना प्राप्त होने पर उस पर विचार करके नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जावेगा ।

इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 24000/-रू0 बीघा की दर से करते हुए लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिवत रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "A" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार किया जा रहा है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर सकुलन सीमा में निहित है । अलसर अधिनियम 1976 से भी प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी कि अलसर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1A) एवं 23(2) के अंतर्गत मुआवजे की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम राशि एवं 12%

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

को सम्बन्धित तहसील, पंचायत समीति, नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये तथा चस्पानगी से तामील कराये गये। 123

मुआवजा निर्धारण :-

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6/15/नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दि. 11-2-91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जविप्रा, एवं सचिव जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजे निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाये। इसके उपरांत समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार/हितदार को बुलाकर नेगोशिएशन नहीं किया गया।

विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उन में कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वी राज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7-7-88 को हुआ था इसलिए विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहां तक उपरोक्त खसरा नं0 के खातेदार/हितदार को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जविप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक टीडी·आर/91/336 दिनांक 5-6-91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम पाच्यावाला में 22·000/-रु0 प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजियन हुआ था इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहां भी अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जविप्रा प्रथम ने भी अपने यू0 ओ0 नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

तामिल कुनिन्दा व हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील करवाया गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18.4.91 को दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को शाखा प्रबन्धक देना बैंक को रजि. ए.डी. द्वारा धारा 9 व 10 का नोटिस तामील करवाया गया । देना बैंक एम.आई. रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 1-5-91 व 9-5-91 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया कि रूग्गा पुत्र बुधा ने खसरा नं0 148 व 149 पर सिंचाई के लिए बैंक से ऋण लिया था जो जमीन को गिरवी रखकर दिया गया था इसलिए जमीन पर प्रथम चार्ज उनका ही है । अत: उनको हितदार व्यक्ति माना जावें । एवं श्री रूग्गा को देय मुआवजे की राशि में से 1518/- रूपये बैंक को दिलाया जावें । देना बैंक ने इसमें कागजात की फोटोकापी एक कीता प्रस्तुत की । देना बैंक द्वारा इसमें विधिवत रूप से कोई क्लेम पेश नहीं किया लेकिन इन्होंने मुआवजे की मांग इस आधार पर की है कि खातेदार की भूमि पर बैंक का प्रथम चार्ज है और खातेदार ने बैंक को उक्त राशि अदा नहीं की है इसलिए हम देना बैंक को नियमानुसार हितदार व्यक्ति मानते है तथा बैंक द्वारा मांगी गई राशि नियमानुसार अवार्ड की कुल राशि में से सर्वप्रथम बैंक को देय होगी लेकिन बैंक को दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी । बैंक को उपरोक्त राशि भुगतान होने के पश्चात बकाया राशि खातेदारान/हितदारान को मालिकाना हक के दस्तावेजात पेश करने पर देय होगी ।

क्रम सं. 26 मुकदमा नं0 67 खसरा नं0 71,107,165,83

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 71,107,165,83 राजकीय भूमि दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत सिवाय चक भूमि होने के कारण दिनांक 22-2-91 को नोटिस तहसीलदार द्वारा दिया गया जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार को तामील करवाया गया तत्पश्चात तहसीलदार जयपुर ने 25-2-91 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर तारीख पेशी 26-2-91 को जनगणना कार्य में व्यस्तता के कारण उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की । तत्पश्चात 20-4-91 को धारा 9 व 10 का नोटिस रजि0 ए.डी. द्वारा दिनांक 1-5-91 को उपस्थित होने के लिए तामील करवाया गया । तथा दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया इसके बावजूद तहसीलदार जयपुर एवं अन्य काश्तकार दावेदार उपस्थित नहीं हुए इसलिए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्राधिकरण के वकील श्री के0पी0 मिश्रा का यह कथन है कि यह भूमि राजकीय होने के कारण स्वत: ही राज्य सरकार में निहित हो जाती है अत: इस भूमि का अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है । हम इस तर्क से सहमत है । खसरा नं0 71,107,165,83 रकबा क्रमश: 0-16,0-02, 0-15,0-19 स्वत: ही निहित मानी जावेगी ।

उक्त सभी प्रकरणों में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत नोटिस दि. 27/4/91 को दिये गये जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दि. 21/5/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

...16.

-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा-9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया । बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम सं॰ 23 मुकदमा नं0 64 व खसरा नं0 167

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 167 भवीरया, कल्याण, रामनारायण पिता बोइया, चौथू पुत्र भोमा जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया ~~जारी किया~~ गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम सं॰ 24 मुकदमा नं0 65 खसरा नं0 124,129

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 124,129 कणोड, रामनाथ,लक्ष्मीनारायण पिता भवीरया, पुत्र पु॰ मोहनीया,सुखराम,सुजाराम, नान्छीलाल पिता हरनाथ जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा व हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया ~~जारी किया~~ गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18.4.91 को दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम सं॰ 25 मुकदमा नं॰ 66 खसरा नं0 148,149

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 148,149 रूग्गा पुत्र छुथा जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्रम सं॰ 20 मुकदमा नं0 62 खसरा नं0 123,130,131,132,133,134,135, 136,137,138,140,163,164

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 123,130,131, 132,133,134,135,136,137,138,140,163,164 सूरजमल पुत्र भवरिया, नारायण पुत्र काना नाथु पुत्र काना, जगदीश पुत्र काना, सोहन, मंगल, हनुमान,जगदीश पिता चोथ्या जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम सं॰ 21 मुकदमा नं0 63 खसरा नं0 158

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 158 नारायण पुत्र झूथा, गोपी पुत्र हरला जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम सं॰ 22 मुकदमा नं0 64 खसरा नं0 168

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 168 झाबूराम पु॰ पूराराम जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिर्पोट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

179

एवं 9,735 रूपये बैंक को दिलावें जावे । देना बैंक द्वारा इसमें कागजात की फोटोकापी एक किता प्रस्तुत की । देना बैंक द्वारा इसमें विधिवत रूप से कोई क्लेम पेश नहीं किया । लेकिन इन्होंने मुआवजे की राशि की मांग इस आधार पर की है कि खातेदार की भूमि पर बैंक का प्रथम चार्ज है और खातेदार ने बैंक को उक्त राशि अदा नहीं की है इसलिए हम देना बैंक को हितदारी व्यक्ति मानते है । देना बैंक उक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मूल दस्तावेज एवं रोजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा । बैंक को उपरोक्त राशि भुगतान होने के पश्चात बकाया राशि खातेदारान/हितदारान को मालिकाना हक के दस्तावेजात पेश करने पर देय होगी ।

क्रम·सं· 18 मुकदमा नं· 60 खसरा नं· 122

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 122 भवरिया, कल्याण, रामनारायण पि· बोड्या, चोथू दत्तक गणेश जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किये~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम·सं· 19 मुकदमा नं0 61 खसरा नं0 115

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 115 नारायण, बद्धा, पि· बुधा गोपी, भूरा पि· हरला, भौरा, नाथ्या, नारायण, लाला, सोन्या पि· काना जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किये~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

178

~~जारी किया~~ तामील करवाया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम· सं· 16 मुकदमा नं0 58 खसरा नं0 110,171,172,173,174,175,178, 178/190

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 110,171,172,173, 174,175,178,178/190 ज्वाला पि· मेहता मीणा के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ करवाया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/ हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम·सं· 17 मुकदमा नं0 59 खसरा नं0 112,113,114,117,119,121

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 112,113,114,117, 119,121 सूरजमल पुत्र भोरा जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील करवाया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/ हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को प्रबन्धक देना बैंक को रजिस्टर्ड एडी0 द्वारा धारा 9 व 10 का नोटिस तामील करवाया गया । देना बैंक जयपुर एम·आई·रोड शाखा द्वारा दिनांक 1-5-91 व 5-5-91 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि सूरजमल पुत्र भोरा जाट ने खसरा नं0 112,113,114,117,121,पर सिंचाई के लिए बैंक से लोन लिया था जो जमीन को गिरवी रखकर दिया था इसलिए जमीन पर प्रथम चार्ज उनका ही है अतः उनको हितदार माना जावें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

177

क्रम॰ सं॰ 13 मुकदमा नं॰ 53 खसरा नं॰ 70,72,73,74,91,92,96,97,98, 99,100,101,102,103,104,111

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 70,72,73,74, 91,92,96,97,98,99,100,101,102,103,104,111 धारा बेवा शोला, मोतीलाल, हरबक्स,लक्ष्मीनारायण पि॰ शोला, भंवरलाल, बाबूलाल पि॰ पौथ मल कुम्हार के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके ~~खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः~~ खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम॰सं॰ 14 मुकदमा नं0 54 खसरा नं॰ 75,81,82,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं॰ 75,81,82 चन्दा पुत्र परसा बलाई के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17·4·91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18·4·91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम॰सं॰ 15 मुकदमा नं0 55 खसरा नं0 76

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 76 लच्छू,गणेश पि॰ दुला, चंदा पु॰ परसा के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्र॰सं॰ 10 मुकदमा नं॰ 50,57 खसरा नं॰ 46,94

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं॰ 46,94 उद्दा पु॰चन्दा बलाई के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा-9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम॰सं॰ 11 मुकदमा नं॰ 51 खसरा नं॰ 48,49,78,79,49/191

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं॰ 48,49,78,79,49/191 लच्छू,गणेश पिता दुला बलाई के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्रम॰सं॰ 12 मुकदमा नं॰ 52 खसरा नं॰ 50,51,50/192

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं॰ 50,51,50/192 काना पुत्र श्योबक्स जाट के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अत: खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

175

क्र॰सं॰ 7 मुकदमा नं॰ 47 खसरा नं॰ 39

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं॰ 39 श्री नारायण, पुत्र झूथा, गोपी पुत्र हरला, सुरजमल पुत्र मोहरू जाट के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनां 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्र॰सं॰ 8 मुकदमा नं॰ 48 खसरा नं0 44

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 44 झुथा, कल्याण पि॰ हरनन्दा, जगदीश, काना, रामचन्द्र पुत्रान हनुमान मीणा के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामीलकुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

क्र॰सं॰ 9 मुकदमा नं॰ 49,56 खसरा नं॰ 45,47,84,85,86,88,89,90,93,95

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 45,47,84,85,86, 88,89,90,93,95 मांग्या पुत्र परसा बलाई के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15-1-91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20-4-91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान /हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17-4-91 के नवभारत टाइम्स एवं दिनांक 18-4-91 के दैनिक नवज्योती समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

....9..

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 35, 118, 142, 143, 144 145, 146, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 146/193 श्री गोपी, मूरा पिता हरला जाट के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की ~~द्वारा~~ हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

कं.स. 5 मु.न. 45 : ख.न. 36, 141, 147, 151, से 153

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 36, 141, 147, 151 से 153 श्री नारायण, बुद्धा पिता बूथा, गोपी, मूरा पिता हरला के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुवा । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिये धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई ।

कं.स. 46 मुकदमा नं. 46 : ख.न. 37, 38, 139, 150, 159, 120, 170

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 37, 38, 39, 150, 159, 120 एवम् 190 श्री नारायण, बुद्धा पिता बूथा के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा, की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क ~~व~~ सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

.....8

173

नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा द्वारा ~~जारी किया~~ तामील कराया गया दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का प्रकाशन कराया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुये अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

कं.स. 3 मु.न. 43 : ख.न. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, एवं 34

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.न. 22 से 34 तक श्री मोरा, रामदेव, महादेव, रामसहाय पिता भेरू, कानापुत्र मीणा, श्योनाथ पु. सालगा, नानगाराम भिखोनाल पिता डालू, फूलचन्द, मोहनलाल पिता रामचन्द्र पोत्र डालू मीणा के नाम दर्ज हैं ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को देकर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया ~~जारी किया~~ गया एवं दिनांक 17.4.91 के नवभारत टाईम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/हितदारान उपस्थित नही हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

देना बैंक जयपुर, एम.आई.रोड शाखा द्वारा दिनांक 1.5.91 व 9.5.91 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया कि मोरीलाल मीणा ने खसरा नम्बर 22 से 34 तक सिंचाई के लिये बैंक से लोन लिया था जो जमीन को गिरवी रख कर दिया गया था । इसलिये जमीन पर प्रथम चार्ज उनका है अतः उनको हितदार माना जावे एवम् मोरीलाल मीणा को देय मुआवजे की राशी में से 5500/-रू. बैंक को दिलवाये जावे । इसी प्रकार नानगराम मीणा ने खसरा नम्बर 22 से 34 पर सिंचाई के लिये बैंक से लोन लिया था जो चुकाया नही गया अतः उस पर प्रथम चार्ज बैंक का बनता है इसलिये मुआवजे की राशी में से 6958/-रू. बैंक को दिलाये जावे । देना बैंक ने इसमें कागजात की फोटोकापी दाखिला प्रस्तुत की । देना बैंक द्वारा इसमें विधिवतरूप से कोई क्लेम पेश नही किया लेकिन इन्होने मुआवजे की राशी की मांग इस आधार पर की है कि खातेदार की भूमि पर बैंक का प्रथम चार्ज है और खातेदार ने बैंक को उक्त राशी अदा नही की है इसलिये हम देना बैंक को नियमानुसार हितदारी व्यक्ति मानते है तथा बैंक द्वारा मांगी गई राशी नियमानुसार अवार्ड की कुल राशी में से बैंक को सर्वप्रथम दस्तावेजात दिखाने पर एवम् राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर देय होगी । बैंक को उपरोक्त राशी भुगतान होने के पश्चात बकाया राशी खातेदारान हितदारान को मालिकाना हक के दस्तावेजात पेश करने पर देय होगी ।

कं.स. 4 मु.न. 44 : खसरा नम्बर 35, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 154, 155 156, 157, 160, 161, एवम् 146/193

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाऐं
जयपुर

.....7

1.	2.	3.	4.	5.
21	63	158	नारायणपु. झूथा, गोपी पु. हरला जाट	00-03
22	64	168	झाबूराम पु. पूरा राम जाट	3-15
23	64ए	167	भवरिया, कल्याण, रामनारायणपि, - बोदया 1/2चोथू, पु. मोमा जाट 1/2	0-03
24	65	124 129	कजोड़, रामनाथ, लक्ष्मीनारायण पिता- भवरिया 1/4 प्रभु पु. मोहनीया 1/4 सुखराम, सजाराम, नान्हीलाल, पि. - हरनाथ जाट 1/2	9-10 1-00
25.	66	148 149	रूग्गा पुत्र झूथा जाट	03-11 0-14
26.	67	71 107 165 83	सिवाय पक	0-16 0-02 0-15 0-19

क्र. स. 1 मुकदमा नं. 40 व 41 खसरा नम्बर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 43, 2, 3, 4, 5, 42

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 43, 2, 3, 4, 5, 42 श्री जयनारायण पुत्र गणेश मीणा, जगदीश पुत्र जय नारायण बत्तक मैरू श्री नारायण, पु. जय नारायण, रतन लाल, बद्रीनारायण पुत्रान जय - नारायण मीणा सुक्खा पुत्र हरनन्दा मीणा के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को दे कर तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुआ । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को जरिये तामील कुनिन्दा तामील कराया गया एवं दिनांक 17.4.91 के नव भारत टाईम्स एवं दिनांक 18.4.91 के दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद इसके खातेदारान/ हितदारान उपस्थित नहीं हुए अतः खातेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

2. क्रम नं. 2 मुकदमा नं0 42 खसरा नं. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 41

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, व 41 श्री भवरिया, बोधिया पि. चन्दा मीणा, कल्याण पुत्र हरनन्दा के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 15.1.91 को जरिये तामील कुनिन्दा जारी किया गया । जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फीया रिपोर्ट के अनुसार परिवार के व्यस्क सदस्य को दे कर एवं चस्पादुंगी द्वारा तामील करवाया गया । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए । इसके पश्चात दिनांक 20.4.91 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए धारा 9 व 10

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

.....6

2	3	4	5
53	70	पाराबेवा शोला, मोतीलाल, हरबक्स, लक्ष्मी-	2-15
	72	नारायण पि. शोला, अवेरलाल, बाबूलाल पि.	0-04
	73	बोधमल कुम्हार	3-14
	74		2-05
	91		0-05
	92		5-14
	96		3-08
	97		6-17
	98		6-07
	99		2-00
	100		0-05
	101		0-04
	102		0-03
	103		0-03
	104		3-07
	111		2-15
14. 54	75	बन्दा पुत्र परसा बलाई	5-00
	81		2-10
	82		2-16
15. 55	76	लच्छू, गणेश पि. दुला 1/2 बन्दा पु. परसा बलाई 1/2	0-03
16. 58	110	ज्वाला पि. मेहता मीणा	11-13
	171		0-05
	172		0-04
	173		1-11
	174		0-04
	175		6-14
	178		54-05
	178/190		0-01
17. 59	112	सूरजमल पुत्र मोरा जाट	1-13
	113		11-12
	114		0-13
	117		0-05
	119		8-15
	121		13-12
18 60	122	भवरिया, कल्याण, रामनारायण पि. बोद्या 1/2 बोधू दत्तक गणेश जाट 1/2	41-10
19. 61	115	नारायण, बद्दा पि. बुधा 1/3 गोपी, भूरा पि. हरलो 1/3 भोरा, नाथ्या, नारायण लाला, सोन्या पि. काना जाट 1/3	00-02
20. 62	123	सूरजमल, पुत्र भवरिया, 1/5 नारायण पु. काना 1/5 नाथू पु. काना 1/5 जगदीश पु. काना 1/5 दर हि. 1/2 मंगल, हनुमान, जगदीश पि. बोध्या जाट 1/2	28-19
	130	सूरजमल पुत्र भवरिया 1/5 नारायण पु. काना	5-17
	131	1/5 नाथू पु. काना 1/5 जगदीश पु. काना 1/5	0-03
	132	सोहन 1/5 दर हि. 1/2 मंगल हनुमान, जगदीश	1-06
	133	पि. बोध्या जाट 1/2	3-17
	134		2-15
	135		2-05
	136		3-06
	137		6-09
	138		7-01
	140		6-18
	163		7-13
	164		0-07

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

170

2	3	4	5
	30		1-01
	31		1-05
	32		0-04
	33		13-01
	34		29-08
4. 44	35	गोपी, भूरा पिता हरला जाट	12-05
	118	"	12-17
	142		0-04
	143		1-13
	144		0-03
	145		0-09
	146		1-06
	154		2-09
	155		1-02
	156		1-05
	157		2-01
	160		0-11
	161		0-16
	146/193		1-03
5. 45	36	नारायण, बुद्धा पिता बूथा 1/2, गोपी	0-03
	141	भूरा पिता हरला 1/2.	24-09
	147	"	9-17
	151		0-10
	152		0-02
	153		0-05
" 46	37	नारायण, बुद्धा पिता बूथा	11-11
	38		0-09
	139		0-04
	150		5-10
	159		1-00
	120		12-06
	170		2-00
" 47	39	नारायण पुत्र बूथा, गोपी पु. हरला	10-11
		सुरजमल पु. मोहरू जाट	
" 48	44	सुखा, कल्यरण पि. हरनन्दा 2/3, जगदीश	18-08
		काना, रामचन्द्र पुत्रान हनुमान मीणा 1/2	
49, 56	45	माग्या पु. परसा बलाई	3-11
	47		13-07
	84		0-10
	85		1-06
	86		0-13
	88		0-03
	89		1-03
	90		3-12
	93		5-10
	95		1-14
" 50, 57	46	उददा पु. चन्दा बलाई	9-18
	94		3-03
" 51	48	लच्छू, गणेश पिता दुला बलाई	9-10
	49	"	9-05
	78		4-10
	79		4-11
	49/191		0-11
" 52	50	काना पु. श्योबक्स जाट	0-18
	51		0-06
	50/192		0-03

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

....4

भूमि अवाप्ति अधिनियम के की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प 6 (15) नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम पाच्या वाला तहसील जयपुर में अवाप्ताधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बतायी गयी है :---

क्र.स.	मु.न.	खसरा नम्बर	खातेदार/हितदार का नाम	अवाप्ताधीन भूमि का रकबा बी. बि.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	40,41	1	जयनारायण पुत्र गणेश मीणा	5 - 08
		6		3-06
		7		1-09
		8		0-04
		9		0-02
		10		0-01
		43		8-18
		2	जगदीश पुत्र जयनारायण दत्तक भेक	2-15
		3	श्रीनारायण पु. जयनारायण, रतन लाल ,	5-13
		4	बद्रीनारायण पुत्रान जयनारायण मीणा	1-05
		5		1-03
		42	सुक्खा पु. हरनन्दा मीणा 1/2, भैरू जयनारायण पु. गणेश मीणा 1/2	8-16
2.	42	11	श्री भवरिया, चोथिया पि. चन्दा मीणा	3-19
		12		1-01
		13		0-03
		14		0-04
		15		10-18
		16		0-03
		17		0-06
		18		0-08
		19		4-13
		20		9-15
		41	भोहरा पु. चन्दा 1/2 कल्याण पु. हरनन्दा 1/2	7-11
3.	43	22	भौरा, रामदेव, महादेव, रामसहाय पि. भैरू 3/4	27-03
		23	कोना पु. भीमा 1/4 श्योनाथ पु. सालेगा 1/4	12-09
		24	नानगाराम, मिश्री लाल पि. डालू, फूलचन्द	4-12
		25	मोहनलाल, पि. रामचन्द पौत्र डालू मीणा 1/4	3-08
		26		5-12
		27		0-04
		28		0-01
		29		0-06

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर